Telephone – 2225634 Fax – 0612 – 2221056

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक/No. Admn-I/(A&E)/Covid/21-22/**C-28**

दिनांक/ Date: **14.05.2021**

कार्यालय आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के आदेश जी/आपदा–06–02/2020–2884 पटना, दिनांक 13.05.2021 द्वारा लॉकडाउन अवधि को दिनांक 25.05.2021 तक विस्तारित किया गया है । राज्य सरकार के लेखे एवं हकदारी से संबंधित मामलों में इस कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा विचारोपरांत कार्यालय आदेश संख्या सी–27 दिनांक 04.05.2021 के क्रम में अगले आदेश तक निम्न निदेश जारी किए जा रहे हैं:–

1. सभी समूह अधिकारी, वरीय लेखा अधिकारी तथा एम.टी.एस. कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।
2. सभी वरीय लेखा अधिकारी अपने नियंत्री अनुभाग के कर्मियों की प्रतिदिन 25 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अपने समूह अधिकारी के अनुमोदन से छः दिवसीय रोस्टर तैयार करेंगे तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
3. शेष कर्मी गृह से कार्य करेंगे तथा मुख्यालय में रहते हुए कार्यालय के संपर्क में बने रहेंगे आवश्यकता होने पर उन्हे सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है ।
4. कार्यालय आदेश संख्या सी/13 दिनांक 13.04.2021 द्वारा जारी अन्य अनुदेश इस अवधि में प्रभावी रहेगें ।

ह०/-

वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का सचिवालय
2. वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन/जी.ई.) का सचिवालय
3. वरीय उप महालेखाकार (पेंशन/फंड) का सचिवालय
4. वरीय उप महालेखाकार (लेखा/भी.एल.सी/कार्य) का सचिवालय
5. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय के सभी कर्मी
6. सूचना पट्ट

वरीय लेखा अधिकारी (प्रशासन–1)